भर्ती समिति, जिला एवं सत्र न्यायालय दुर्ग, (छ0ग0)

//आवश्यक सूचना//

(दावा आपत्ति के निराकरण)

भृत्य/दफ्तरी कम फर्राश के कुल 32 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कौशल परीक्षा/साक्षात्कार में प्राप्त अंको के मेरिट क्रम के आधार पर वर्गवार अभ्यर्थियों की उपलब्धता अनुसार अनंतिम चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची जारी कर चयनित उम्मीदवारों के प्रमाण पत्र के संबंध में दावा आपत्ति दिनांक 24/01/2024 के शाम 5:00 बजे तक आमंत्रित किया गया था। इस समयावधि में चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के संबंध में कोई दावा आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है, किंतु भिन्न आशय के कुल 06 अभ्यर्थियों द्वारा दावा आपत्ति प्रस्तुत किया गया है जिसका निराकरण समिति के द्वारा किया गया जो निम्नानुसार हैः–

01– आपत्तिकर्ता कौशिल्या चतुर्वेदी, अनुक्रमांक–P–416 ने इस आधार पर आपत्ति किया है कि दिनांक 13–01–2024 को भृत्य पद हेतु कौशल परीक्षा हुई थी जिसमें उसका साक्षात्कार परीक्षा अच्छा रहा, किंतु उसे कम नंबर दिया गया है, जिसका साक्षात्कार अच्छा नहीं गया है उनको ज्यादा नंबर दिया गया है । अतः सूची में संशोधन करते हुए साक्षात्कार में प्रदर्शन के अनुसार अंक प्रदान करने एवं चयन सूची में नाम जोड़े जाने का निवेदन किया है ।

आपत्तिकर्ता के मूल आवेदन पत्र एवं भृत्य/दफ्तरी कम फर्राश हेतु जारी टैबुलेशन का अवलोकन किया गया जिससे दर्शित है कि उसे कुल 12 अंक प्राप्त हुये हैं जो कि कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार में उसकी योग्यता के आधार पर अंक प्रदान किया गया है । अतः आपत्तिकर्ता/आवेदिका की आपत्ति सारहीन होने से **निरस्त** किया गया ।

02– आपत्तिकर्ता भूपेन्द्र कुमार साहू, अनुक्रमांक–P–529 ने इस आधार पर आपत्ति किया है कि दिनांक 14–01–2024 को भृत्य पद हेतु साक्षात्कार दिया था, जिसमें उसे कुल 14 अंक प्राप्त हुये हैं, उक्त दिये गये प्राप्तांक के संबंध में आपत्ति किया है । अतः प्राप्तांक संबंधी दावा आपत्ति का निराकरण किये जाने का निवेदन किया है ।

आपत्तिकर्ता के मूल आवेदन पत्र एवं भृत्य/दफ्तरी कम फर्राश हेतु

जारी टैबुलेशन का अवलोकन किया गया जिससे दर्शित है कि उसे कुल 14 अंक प्राप्त हुआ है जो कि कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार में उसकी योग्यता के आधार पर अंक प्रदान किया गया है । अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति सारहीन होने से **निरस्त** किया गया ।

03– आपत्तिकर्ता दौलत राम, अनुक्रमांक–P–608 ने इस आधार पर आपत्ति किया है कि दिनांक 14–01–2024 को साक्षात्कार हेतु वह हडबड़ी में जल्दबाजी में परीक्षा देने आया था, जिससे उसे अनुशासन हेतु कम अंक प्राप्त हुआ है । अतः उसका पॉचवी में 90 प्रतिशत है जिसके आधार पर उसे चयन सूची में दोबारा शामिल किये जाने का निवेदन किया है ।

आपत्तिकर्ता के मूल आवेदन पत्र एवं भृत्य/दफ्तरी कम फर्राश हेतु जारी टैबुलेशन का अवलोकन किया गया जिससे दर्शित है कि उसे कुल 16 अंक प्राप्त हुये हैं जो कि कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार में उसकी योग्यता के आधार पर अंक प्रदान किया गया है । अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति सारहीन होने से **निरस्त** किया गया ।

04– आपत्तिकर्ता निशा बंजारे, अनुक्रमांक–P–297 ने इस आधार पर आपत्ति किया है कि भृत्य/दफ्तरी कम फर्राश के कुल 32 रिक्त पद हेतु 31 अभ्यर्थीयों का अनंतिम चयन परिणाम जारी किया गया है, अनुसूचित जाति वर्ग के भूतपूर्व सैनिक के आरक्षित 01 पद हेतु कोई भी अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए/नहीं मिला है । अतः उक्त पद पर किसी भी अभ्यर्थी का चयन नहीं किया गया है तथा वह पद रिक्त है । अतः विज्ञापन में महत्वपूर्ण टीप क्रमांक 02 में उल्लेखित "जिस श्रेणी के उम्मीदवार में महिला, दिव्यांग और भू.पू.सै. के पद आरक्षित है, यदि उस पद पर उस श्रेणी के योग्य उम्मीदवार नहीं पाये जाते है, तो उस श्रेणी के मुक्त पदों से वरीयता के आधार पर चयन किया जाएगा" अनुसार उक्त पद को भरने के लिए प्रतीक्षा सूची में प्रथम अभ्यर्थी निशा बंजारे, अनुक्रमांक P–297 को अनंतिम चयन परिणाम में शामिल किये जाने का निवेदन किया है ।

समिति के द्वारा विज्ञापन का अवलोकन किया गया जिससे दर्शित है कि विज्ञापन की महत्वपूर्ण टीप क्रमांक 02 में यह उल्लेखित है कि **"जिस श्रेणी के उम्मीदवार में महिला, दिव्यांग और भू.पू.सै. के पद आरक्षित है, यदि उस पद पर उस श्रेणी के योग्य उम्मीदवार नहीं पाये जाते है, तो उस श्रेणी के मुक्त पदों से वरीयता के आधार पर चयन किया जाएगा ।"**

इस संदर्भ में भर्ती समिति द्वारा जारी अर्ह सूची से दर्शित है कि कोई भी अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, भूतपूर्व सैनिक वर्ग का अर्ह नहीं हुआ और न ही समिति के समक्ष उपस्थित अभ्यर्थियों में, आरक्षित अनुसूचित जाति भूतपूर्व सैनिक 01 पद हेतु कोई भी उम्मीदवार उपस्थित हुआ जिसके कारण उक्त पद हेतु कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिला । उपरोक्त विज्ञापन की महत्वपूर्ण टीप क्रमांक 02 के अनुसार भूतपूर्व सैनिक के अनुसूचित जाति के आरक्षित 01 पद हेतु उस श्रेणी के मुक्त पदों से वरीयता के आधार पर चयन किया जाएगा, का प्रावधान है । अतः आपत्तिकर्ता निशा बंजारे की आपत्ति **स्वीकार** किया गया ।

05- आपत्तिकर्ता हरीश कुमार देवांगन ने अपनी आपत्ति के संबंध में व्यक्त किया कि दिनांक 14-01-2024 को भृत्य पद हेतु वह साक्षात्कार दिया था और वह साक्षात्कार के समय साक्षात्कार बोर्ड की बातों को ठीक से नहीं समझ पाया था जिसके कारण वह खुद को स्नातक होना बता दिया था, जबकि वह स्नातक नहीं है । आपत्तिकर्ता द्वारा उक्त संबंध में लिखित में आवेदन भी दिया गया ।

उक्त आपत्तिकर्ता हरीश कुमार देवांगन अनुक्रमांक 798 के आपत्ति का अवलोकन कर तथा उसे सुने जाने के उपरांत समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया, कि आपत्तिकर्ता हरीश कुमार देवांगन ने साक्षात्कार के समय प्रश्नों को नहीं समझ पाने के कारण स्वयं को स्नातक होना बताया जाना व्यक्त किया है जिसके कारण उसे साक्षात्कार से पृथक किया गया । अतः उसकी दावा आपत्ति **स्वीकार** कर साक्षात्कार हेतु उसे अवसर दिया गया ।

06- आपत्तिकर्ता शिव कुमार द्वारा अपनी आपत्ति के संबंध में व्यक्त किया कि उसकी वर्तमान में आयु 51 वर्ष है तथा भारतीय थल सेना में 24 वर्ष की सेवा अवधि उपरांत उसकी आयु लगभग 27 वर्ष हो रहा है चूंकि वह भूतपूर्व सैनिक है और जिला न्यायालय दुर्ग के ज्ञापन दिनांक 09-06-2023 के पेज क्रमांक 05 की कंडिका 4 आयु सीमा में छुट के 4(एफ)(5) में "ऐसे अभ्यर्थी को जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा, किंतु उसके परिणाम स्वरुप जो योग निकले वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी," उल्लेखित है । विज्ञापन के अनुसार उसकी कुल उम्र लगभग 51 वर्ष है

और 24 वर्ष की सेवाकाल घटाने के पश्चात, उसकी उम्र लगभग 27 वर्ष हो रही है । अतः ज्ञापन का अवलोकन उपरांत दावा आपत्ति का निराकरण किया जाये, जिसमें उसे लाभ मिल सके ।

उक्त आपत्तिकर्ता अभ्यर्थी शिव कुमार की आपत्ति पर विचार उपरांत यह पाया गया कि विज्ञापन क्रमांक 1850/भर्ती समिति/2023 दुर्ग, दिनांक 09/06/2023 के पेज क्रमांक 05 में "आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्ते" की कंडिका 4(एक)(5) में " ऐसे अभ्यर्थी को जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा, किंतु उसके परिणाम स्वरुप जो योग निकले वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी," का प्रावधान उल्लेखित है ।

उक्त प्रावधान के तारतम्य में आपत्तिकर्ता भारतीय थल सेना में 24-25 वर्ष सेवा करना बताया है तथा आपत्तिकर्ता के आवेदन पत्र में सेवा दस्तावेजों के अनुसार यह दर्शित है कि आपत्तिकर्ता भारतीय थल सेना में 24 वर्ष, 04 दिन सेवा किया है । अतः विज्ञापन क्रमांक 1850/भर्ती समिति/2023 दुर्ग, दिनांक 09/06/2023 के पेज क्रमांक 05 में "आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्ते" की कंडिका 4(एक)(5) को दृष्टिगत रखते हुये, आपत्तिकर्ता की आपत्ति स्वीकार योग्य पाये जाने से उसकी आपत्ति स्वीकार कर उसे साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया गया ।

10/02/2024

अध्यक्ष
भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग
जिला–दुर्ग (छ0ग0)